रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072022-237695
CG-DL-E-29072022-237695

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3308]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 28, 2022/श्रावण 6, 1944
No. 3308]	NEW DELHI, THURSDAY, JULY 28, 2022/SHRAVANA 6, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2022

का. आ. 3473(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्द भूमि के खण्ड के सम्बन्ध में बिहार राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-322 के कि.मी. 28.700 से कि.मी. 56.200 तक (मुसरीघरारी - दरभंगा सेक्शन) के निर्माण (चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण), के निर्माण अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्द्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

बिहार राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-322 के कि.मी. 28.700 से कि.मी. 56.200 तक (मुसरीघरारी - दरभंगा सेक्शन) के निर्माण (चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण), में अर्जन की जाने वाली भुमि के लिए संरचना रहित अथवा संरचना सहित ग्रामों का संक्षिप्त विवरण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH322 के कि.मी. 28.7 से 56.2 तक	बिहार	दरभंगा	बहादुरपुर	1 बरहेता 2 जगतपुर

[फा. सं. RW/PAT/LA/NH 322/MUSRIGHARARI-DHARBHANGA SECTION/2021]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2022

S. O. 3473(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building (widening/four lane etc.), maintenance management and operation from Km. 28.700 to Km. 56.200 (musrigharari-Darbhanga Section) of the National Highway No. 322 in the state of Bihar.

SCHEDULE

Acquisition of land in respect of National Highway No. 322(musrigharari - Darbhanga Section) in the state of Bihar on the stretch from Km. 28.700 to Km. 56.200.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Land Aquisition Officer , Darbhanga	28.7KM To 56.2KM	BIHAR	DARBHANGA	Bahadurpur	1 Barheta 2 Jagatpur

[F. No. RW/PAT/LA/NH 322/MUSRIGHARARI-DHARBHANGA SECTION/2021]

RAJESH GUPTA, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.07.29 16:57:28 +05'30'